न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–39/2018 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. आसीनी स्त्री आमीन खां जाति मेव निवासी ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।

..... अपीलांटस

बनाम

1. पूरण सिंह पुत्र निरंजन सिंह रायसिख
2. भगतसिंह पुत्र निरंजन सिंह रायसिख
3. सुनो बाई पुत्री निरंजन सिंह रायसिख
4. बचनो बाई पुत्री निरंजन सिंह रायसिख
5. मिन्द्रो बाई पुत्री निरंजन सिंह रायसिख
6. अमर कौर पुत्री निरंजन सिंह रायसिख
7. निरंजन सिंह पुत्र नागर सिंह रायसिख निवासीयान ग्राम धनेटा तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

.....असल रेस्पोडेण्टस

8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ एवं उपपंजीयक रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

.....तरतीबी रेस्पोडेण्टान

उपस्थित :–
1. श्री रामनिवास सैनी, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री मनमीत सिंह अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–25.01.2021

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 द्वारा एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 188 बाबत इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया गया कि आराजी हाल खसरा नंबर 511 रकबा 0.01, 512 रकबा 0.34, 513 रकबा 0.31, 589 रकबा 0.34, 353

रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम धनेटा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है। विवादित आराजी हिन्दू मुश्तर्का खानदान की पैतृक आराजी है। विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार वादीगण असल प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज नागरसिंह पुत्र मोतीसिंह रायसिख था, जिनका देहान्त हो चुका है। उनकी मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को विरासत में प्राप्त हुई है। वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र व पुत्रियां हैं। निरंजनसिंह बृद्ध है, जो विवादित आराजी में काश्त भी नही कर सकता है। विवादित आराजी के आधे हिस्से पर वादीगण का कब्जा है और निरंजन के हिस्से पर काश्त कर रहे हैं। विवादित आराजी अविभाजित है जिसका आज तक वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच विधिक विभाजन नही हुआ है। अतः डिक्री इस्तकरारहक एवं दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण 01 व 02 सादिर की जाकर उक्त विवादित आराजी का वादीगण को 2/14 हिस्स, प्रतिवादी संख्या 01 को 1/14 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादीगण 04 लगायत 07 को 4/14 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और समस्त राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 01 के 1/2 हिस्से नाम के इन्द्राज को हटाया जावे और उसके स्थान पर वादीगण के नाम का इन्द्राज 02/14 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 01 के नाम का इन्द्राज 1/14 हिस्से, तरतीबी प्रतिवादी 04 लगायत 07 के नाम का इन्द्राज 4/14 हिस्से पर खातेदार काश्तकार के दर्ज फरमाया जावे।जिस वाद वादीगण को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खिलाफ मौका, रिकार्ड व कानून अपने आदेश दिनांक 20.06.2017 द्वारा दावा स्वीकार व डिक्री किया गया। जिस आदेश से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

इसी के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 सिविल प्रकिया संहिता एवं प्रार्थना पत्र दफा 05 लिमिटेशन एक्ट भी पेश किया।

प्रार्थना पत्र दफा 96 सीपीसी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि विवादित आराजी का 1/2 भाग प्रतिवादी संख्या 01 निरंजनसिंह से तथा 1/2 भाग प्रतिवादी संख्या 02 चरणसिंह से अपीलांटा ने दो किता बयनामें दिनांक 06.07.2011 के जर्ये खरीद की हुई है तथा वक्त खरीद से अपीलांटा विवादित सालिम आराजी पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। इस प्रकार विवादित आराजी में अपीलांटा के हित निहित हैं।लेकिन वादीगण ने तहत अदालत में दावा मिन अपीलांटा को पक्षकार बनाये बिना पेश कर निर्णीत कराया है। जिस निर्णय व डिक्री से अपीलांटा के हक हकूक प्रभावित होते हैं।इसलिये अपीलांटा को अपील पेश करना आवश्यक हुआ है। इसके लिये अपीलांटा को नियमानुसार इजाजत प्रदान की जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र दफा 05 लिमिटेशन एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आलोच्य निर्णय व डिक्री तहत अदालत द्वारा अपीलांटा की गैरजानकारी व गैरमौजूदगी में पारित की गई है। क्योंकि अपीलांटा को तहत अदालत में पक्षकार नही बनाया गया था। इस कारण अपीलांटा को पूर्व में आलोच्य निर्णय व डिक्री की जानकारी नही थी, इसलिये समयावधि में अपील पेश नही की जा सकी। नेकनियति एवं युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा म्याद मुजरा दिये जाने योग्य है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी एवं धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

अधिवक्ता रेस्पो0 ने इसके खण्डन में कथन किया कि प्रार्थी का विवादित आराजीयात पर किसी प्रकार का कोई हित निहित नही है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जावें। साथ ही प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट खारिज करने के तर्क पेश किये।

अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया। अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि विवादित आराजी का 1/2 भाग प्रतिवादी संख्या 01 निरंजनसिंह से तथा 1/2 भाग प्रतिवादी संख्या 02 चरणसिंह से अपीलांटा ने दो किता बयनामें दिनांक 06.07.2011 के जर्ये खरीद की हुई है तथा वक्त खरीद से अपीलांटा विवादित सालिम आराजी पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। इस प्रकार विवादित आराजी में अपीलांटा के हित निहित हैं। लेकिन वादीगण ने तहत अदालत में दावा मिन अपीलांटा को पक्षकार बनाये बिना पेश कर निर्णीत कराया है जिस निर्णय व डिक्री से अपीलांटा के हक हकूक प्रभावित होते हैं। आलोच्य निर्णय व डिक्री राजीनामा के आधार पर पारित की गई है लेकिन पत्रावली में संलग्न राजीनामा प्रपत्र से बखूबी दर्शित है कि उस पर केवल वादी पूरण सिंह के हस्ताक्षर व प्रतिवादी निरंजन सिंह के अंगूठा निशानी हो रहे हैं। वादी भगतसिंह व प्रतिवादी चरणसिंह के कोई हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी नही है ना ही राजीनामा प्रपत्र में वादी पूरणसिंह व प्रतिवादी निरंजनसिंह की किसी ने कोई पहचान की है।वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नही है। वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर कोई कभी कब्जा काश्त नही रहा ना वर्तमान में है। प्रतिवादी निरंजनसिंह ने वादीगण से मिली भगत करके तथा सही व वास्तविक तथ्यों को छिपाकर तथा अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये तहत अदालत में दावा पेश करा कर निर्णीत व डिक्री कराया है। क्योंकि प्रतिवादी निरंजनसिंह अपने 1/2 भाग को दिनांक 06.07.2011 के बयनामें के जर्ये प्रतिफल प्राप्त कर व कब्जा प्रदत्त कर अपीलांट को विक्रय कर चुका था। प्रतिवादी चरणसिंह भी दिनांक 06.07.2011 को ही बयनामा के जर्ये अपना 1/2 हिस्सा अपीलांटा को विक्रय कर चुका था। तभी से अपीलांटा विवादित सालिम आराजी पर बहैसियत बोनाफाईड परचेजर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। उक्त तथ्यों की जानकारी वादीगण को बखूबी थी क्योंकि वादीगण ने प्रतिवादी निरंजनसिंह द्वारा अपीलांटा के हक में किये गये बयनामें को सन 2011 में ही न्यायालय जिला जज अलवर में वाद दायर कर चैलेंज कर दिया था।जिसमें अपीलांटा को भी पक्षकार बनाया था। जो दावा निर्णीत हो चुका है तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला जज संख्या एक अलवर के यहां भी अपीलांटा के हक में हुआ बयनामा को वैध माना गया है। उपरोक्त तथ्यों को छिपा कर निरंजन सिंह प्रतिवादी ने वादीगण से साज बाज होकर तहत अदालत में दावा मनगढंत व मिथ्या तथ्यों को आधार बनाकर प्रस्तुत किया और निर्णीत व डिक्री कराया है। वाद का निर्णय करने से पूर्व तहत अदालत ने ना तो प्रतिवादीगण से जबाव तलब किया ना मुताबिक प्लीडिंग तनकीयात विरचित की ना ही बयानात आदि लिये एवं बिना विधिक प्रकिया अपनाये आलोच्य निर्णय व

डिक्री पारित किया है। वादीगण का ना तो राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज है ना ही मौके पर उनका कब्जा काश्त है यानि कि वादीगण विवादित आराजी के खातेदार काबिज काश्तकार नही है। जिनको वाद लाने का कानूनी अधिकार नही था इसलिये वाद वादीगण खारिज होने योग्य था। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2017 अपास्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाब में अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि बयनामा के निरस्तीकरण हेतु एडीजे संख्या 01 अलवर के निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की हुई है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रशासन गांवों संग अभियान में बाबत विभाजन का दावा था, में अपीलांट को पक्षकार इसलिये नही बनाया क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नही था। अपीलांट को एकपक्षीय आदेश को, आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के अंतर्गत उसी अदालत में प्रार्थना पत्र देकर चाराजोही करनी चाहिये थी। वर्षों तक बयनामा का इंतकाल क्यों नही खुलवाया। अपीलांट को बयनामा के आधार पर वाद लाना चाहिये था। अपील में तहत अदालत द्वारा विधि के परिपेक्ष्य में सही निर्णय पारित किया है, अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । तहत अदालत विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2017 का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया गया। आदेशिका दिनांक 02.12.2016 के अनुसार वकील वादी व वादीगण तथा वकील प्रतिवादी व प्रतिवादीगण उपस्थित। राजीनामा पेश किया गया। दिनांक 20.06.2017 की आदेशिका के अनुसार राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री किया गया।

हमारे द्वारा राजीनामा प्रपत्र का अवलोकन किया गया। राजीनामा में वादी व प्रतिवादी की पहचान किसी के भी नही की गई है।इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया जबकि तहसील रामगढ में पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट का हक सन्निहित है। बहस के दौरान अपीलांट द्वारा कथन किया गया है कि इसी आराजी के पंजीबद्ध विक्रय पत्र की वैधानिकता के संदर्भ में न्यायालय एडीजे–01 द्वारा भी उनके प्रकरण दीवानी दावा संख्या 396/2011 बउनवान पूर्ण सिंह बनाम निरंजन सिंह निर्णय दिनांक 23.10.2019 द्वारा भी बयनामा को वैध माना है।

हमारे द्वारा तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न विक्रय पत्र का अवलोकन किया गया। विक्रय पत्र 06.07.2011 का तहसीलदार रामगढ में पंजीबद्ध है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट का इसमें हक निहित है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट भी स्वीकार किया जाता है क्यों कि किसी भी वाद को गुणावगुण के आधार पर निर्णीत किया जाना चाहिये न कि तकनीकि आधार पर।

अतः राजीनामा विधिक रूप से प्रमाणित नही पाये जाने, अपीलांट को विवादित आराजीयात में हित निहित होने व सुनवाई का अवसर नही दिये जाने से, अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर देते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः अपना निर्णय पारित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25.01.21

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर